

कार्यालय— प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

जी.ए.सी.सी. केम्पस, ए.बी. रोड, इन्दौर फोन नं. 0731-2971400

इन्दौर, दिनांक : 31 / 07 / 2026

अधिसूचना

महाविद्यालय में सत्र 2026-2027 में उपलब्ध सीटों के आधार पर B.A.LL.B Hons II Year & LL.B Hons II Year में प्राविधिक प्रवेश (अस्थाई प्रवेश) हेतु दिनांक 03/08/2026 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जिसकी विस्तृत नियम एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट www.govtnewlawcollegeindore.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. विपिन कुमार मिश्रा)

प्रभारी प्राचार्य,

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर म.प्र.

कार्यालय— प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

जी.ए.सी.सी. केम्पस, ए.बी. रोड, इन्दौर फोन नं. 0731-2971400

दिनांक : 31 /07/2026

नियम एवं निर्देश

महाविद्यालय में सत्र 2026-2027 में उपलब्ध सीटों के आधार प्राविधिक प्रवेश (अस्थाई प्रवेश) हेतु दिनांक 03/08/2026 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

1. विद्यार्थियों का प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जावेगा।
2. प्रवेश प्रक्रिया म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर द्वारा जी निर्देशों के अनुसार संपन्न की जावेगी।
3. प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
4. प्राविधिक प्रवेश हेतु पात्र होने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा पूर्व कक्षाओं के सभी सेमेस्टर में उत्तीर्ण मार्कशीट होने के उपरांत ही आप पूर्व महाविद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करेंगे उसके उपरांत ही उसका प्रवेश स्थाई हो सकेगा।
5. विश्वविद्यालय से इस महाविद्यालय में डाटा ट्रांसफर/नामांकन/पात्रता की कार्यवाही विद्यार्थी स्वयं ही करेंगे, तब आपका प्रवेश नियमित हो सकेगा।
6. यदि आप एम.पी.टॉस पोर्टल पर छात्रवृत्ति या अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति/किसी भी प्रकार की शासन योजना के लाभ की पात्रता रखते हैं तो उसका भी ऑनलाईन डाटा भी छात्रों को शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर में ट्रांसफर करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी।
7. संपूर्ण प्रवेश शुल्क का भुगतान एक मुश्त करना होगा।
8. परीक्षा या छात्रवृत्ति का डाटा ट्रांसफर नहीं होने की स्थिति में यदि छात्र परीक्षा फार्म या छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित रहते हैं तो इसकी भी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित स्वयं की रहेगी तथा ऐसी स्थिति आपका प्रवेश निरस्त होने या छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में प्रवेश शुल्क की राशि फिर से नहीं लौटाई जाएगी (रिफंड नहीं की जावेगी) और इसके संबंध में आप किसी भी प्रकार का शिकायत जनसुनवाई/न्यायालय/सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत नहीं करेंगे।

(डॉ. विपिन कुमार मिश्रा)

प्रभारी प्राचार्य,

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर म.प्र.